



डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/सम्ब०/2017/

दिनांक : 2017

प्रेषक,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
जे०डी०जे०बी० आनन्द पी०जी० कालेज,
धनवारी, खेमापुर,
अम्बेडकरनगर।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत चयनित एम०एस०सी० गणित पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 11.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय/संस्थान प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नम्बर	आधार नम्बर	शै० योग्यता	पद/विषय
1.	डा० विमल कुमार	श्री राजेन्द्र सिंह	02.07.1980	ANZPN4828R	714641349756	पी.एच.डी.	गणित
2.	डा० लोकेन्द्र सिंह परमार	श्री राज किशोर सिंह	15.08.1984	AVGPK7794J	719850673432	पी.एच.डी.	गणित

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र, अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान/महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(संजय कुमार)
कुलसचिव